श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय गोबरा नवापारा

ग्राम – तर्री, पोस्ट – पटेवा, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)

विवरण पत्रिका

सत्र - 2021-22

Scanned with CamScanner

श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा–नवापारा

ग्राम तर्री,पोस्ट पटेवा

जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

सत्र – 2021–22

विवरण पत्रिका

Scanned with CamScanner

परिचय

छत्तीसगढ़ का प्रयाग त्रिवेणी संगम पर अवस्थित देवदिव भगवान महादेवका मंदिर है। भगवान विष्णु के सतत् सेवन की इच्छा से संगम पर भगवान महादेव कुलेश्वर भोलेनाथ के नाम से विराजमान है । विष्णु और शिव अर्थात हरि और हर यहाँ साथ–साथ विराजित हैं इसलिए यह नगरी हरिहर क्षेत्र के नाम से विख्यात हैं।

नवापारा नगर रायपुर–गरियाबंद मार्ग में रायपुर से 45 कि.मी. की दूरी परबसा है । इसमहाविद्यालय की स्थापना सत्र 2008–2009 में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 24 अगस्त 2009 से की गई है। महाविद्यालय भवन की दूरी नवापारा नगर से 1 कि.मी. की दूरी पर पश्चिम दिशा की और ग्राम तरी में अवस्थित है ।

यह महाविद्यालय पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर रायपुर से बी.ए./ बी.एस.सी / बी.काम एवं पी.जी.डी.सी.ए/डी.सी.ए के लिए सम्बद्धता प्राप्त है।

Scanned with CamScanner

प्राचार्य का संदेश

प्रिय, छात्र/छात्राओं,

महानदी त्रिवेणी संगम और छत्तीसगढ़ को पहचान देती राजीवलोचन की पावन धरा पर स्थित है **श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय गोबरा–नवापारा** जिसने अल्प काल में ही अपनी कीर्ति स्थापित कर ली है। वर्तमान में उच्च शिक्षा प्रत्येक युवाका स्वप्न है। स्थानीय विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा के प्रति ललक होने के बावजूद उन्हें इससे वंचित होना पड़ता था। राजिम,अभनपुर अथवा रायपुर के महाविद्यालयों में शिक्षा प्रात करना सहज न था। जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से 24 अगस्त 2009से यह महाविद्यालय प्रारंभ हुआ। हर्ष का विषय है कि 08 नवंबर 2012 को महाविद्यालय अपने नवनिर्मित भवन में पर्दापण कर लिया है। सर्व सुविधायुक्त महाविद्यालय छात्रों को अत्यल्प शुल्क में बेहतर शिक्षण परिवेश उपलब्ध कराने कटिबद्ध है।महाविद्यालय का यह शैशव काल है और ज्ञातव्य है कि गत सत्र यहां छात्र संख्या 732 रही, जिसमें लगभग पचास प्रतिशतसंख्या छात्राओं को रही है । स्त्री शिक्षा के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से यह तथ्य प्रमुखता से रेखांकित किया जाना चाहिये।

महा विद्यालय में अध्ययन–अध्यापन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। यहां कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायसातक स्तर पर संचालित है। कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं जिम का उद्घाटन किया जा चुका है। रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों केअंतर्गत डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. की कक्षाएं प्रारंभ है तथा एम.एस.डब्ल्यू. एवं वी.सी.ए. की कक्षाएं इसी सत्र में प्रारंभकरने की योजना है। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में इतिहास तथा समाजशास्त्र विषयों की ज्यादा मांग को देखते हुए स्नातकस्तर पर इन विषयों को प्रारंभ करने के लिए प्रयास जारी है। महाविद्यालय में अभी स्नातक स्तर की कक्षाएं संचालित हैं, इसमेंविस्तार करते हुए सर्वप्रथम हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर कक्षा आरंभ करने के लिए कार्यवाही शुरु की जा चुकी है।

आंचलिक क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय की उपलब्धता स्थानीय छात्र–छात्राओं के लिए वरदान है। महाविद्यालय प्रशासन उच्च शिक्षा संबंधी उनकी आवश्यकता एवं अपेक्षाओं की पूर्ति अवश्य करेगा, इस हेतु वह दृढ़ संकल्पित है।

छात्र/छात्राए महाविद्यालय में केवल किताबें ही नहीं पढ़ते हैं वरन् अध्ययन करने के साथ उसके मन और मस्तिष्क परमहाविद्यालयीन शिक्षकों और वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। इसके फलस्वरूप उसमें ग्रहण और निर्णय करने की भावनात्मक चिंतन एवं रचनात्मक गुणों की क्षमता का चतुर्दिक विकास होता है। प्रवेश लेने वाले समस्त नवागन्तुक छात्र।छात्राओं से मैं आशा करती हूँ कि अध्ययन के प्रति एकाग्र निष्टा के साथ ही महाविद्यालय में अपेक्षित अनुशासन का पालन करेंगे एवं महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों में आगे बढ़–चढ़कर हिस्सा लेंगे।

मैं महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।

शुभकामनाओं के साथ।

PRINCIPAL
Shri Kuleshwar Mahadev
Govt. College, Gobra Navapara
Dist. Raipur (C.G.)

(डॉ.किरण गजपाल)

प्राचार्य

Scanned with CamScanner

भाग एक

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु अलग–अलग प्रवेश आवेदन पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा । एक संकाय /कक्षा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, दूसरे संकाय /कक्षा में प्रवेश हेतु मान्य नहीं होगा।

इन सभी आवेदन पत्रों में आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्वयं सत्यापित सत्य–प्रतिलिपि आवश्यक रुप से संलग्न करना होगा।

वर्तमान समय में महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था है :–

स्नातकोत्तर

एम.ए. :– **एम.ए** हिन्दी, **एम.ए** भूगोल

स्नातक

कला (बी.ए.) :– अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, आधारपाठ्यक्रम।

विज्ञान (बी.एस–सी.):– रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र

वाणिज्य (बी.कॉम.) :– पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा घोषित पाठ्य क्रमानुसार सभी अनिवार्य विषय।

स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित पाठ्यक्रमः–

उच्चशिक्षा विभाग की अनुमति से महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के माध्यम से इस योजनांतर्गत सेमस्टर आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे है। इस हेतु शासन से पद एवं संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जाते है, शुल्क की राशि से इस पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है।

कम्प्यूटर साईंसं :– पी.जी.डी.सी.ए. एवं

डी.सी.ए.

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय का निर्धारित प्रारूप

स्नातक

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	उपलब्ध स्थान
1.	एम. ए. एम.ए. भूगोल एम.ए. हिन्दी	 40 40
2.	बी.ए.	300
	राजनीति शास्त्र	80
	अर्थशास्त्र	80
	हिन्दी साहित्य	80
	अंग्रेजी साहित्य	80
	भूगोल	80
	गृहविज्ञान	40
	हिन्दी भाषा	300
	अंग्रेजी साहित्य	300
3.	बी.एस.सी.	
	जीव विज्ञान	100
	गणित संकाय	60
4.	बी.कॉम	80
5.	पी.जी.डी.सी.ए.	60
6.	डी.सी.ए.	40

Scanned with CamScanner

संकायवार उपलब्ध विषय

एम.ए. 1.एम.ए. भूगोल

2.एम.ए. हिन्दी

कला संकाय (बी.ए.)

अनिवार्य विषय : (।) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी +अंग्रेजी) (।।) पर्यावरण अध्ययन ।

2.वैकल्पिक विषय : निम्न विषयों में से कोई तीन चयन करना होगा ।

1. राजनीति शास्त्र
2. हिन्दी साहित्य
3. अर्थशास्त्र
4. भूगोल
5. अंग्रेजी साहित्य

विषय–परिवर्तन के लिए आवेदन प्रवेश लेने के15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है,

विषय–परिवर्तन, सम्बन्धित विषय में स्थान उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.)

1. अनिवार्य विषय : (1) आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी) (प्) पर्यावरण अध्ययन ।
2. वैकल्पिक विषय : निम्न विषयों में से कोई तीन चयन करना होगा ।

1.रसायन शास्त्र

2. प्राणी शास्त्र एवं

3.वनस्पति शास्त्र ।

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम. भाग 1,2,3 : सभी अनिवार्य विषय ।

कम्प्यूटर संकाय

पी.जी.डी.सी.ए.

डी.सी.ए

Scanned with CamScanner

सूचना :–

1. यदि छात्र एक संकाय छोड़ दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांको से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जायेगा ।
2. छात्र अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहता है उसका चयन सावधानी से करे । विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जायेगी, प्रवेश–सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी । सूचना पहुँचाने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी ।
4. प्रवेश–सूची जारी होने के सात दिनों के अन्दर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा ।
5. छात्र की उपस्थिति को गणना महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं के प्रारंभ होने की तिथि से की जावेगी,छात्र के प्रवेश लेने की तिथि से नहीं । उपस्थिति में छूट की कोई सुविधा नहीं दी जावेगी । यदि उपस्थिति 75 % से कम होगी तो नियमित छात्र के रुप में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
6. जिन छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 % से कम होगी उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
7. दशहरा व दीपावली अवकाश के बीच अनुपस्थिति आर्थिक रुप से दण्डनीय होगी ।
8. प्रत्येक छात्र को यूथ रेड क्रास सोसायटी अथवा खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य है ।
9. प्रवेश–संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।

Scanned with CamScanner

अर्हता

अर्हता संबंधी नियम पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे।

सूचनाः–

1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाली छात्राओं को प्रव्रजन (Migration) प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
2. महाविद्यालय में छात्र को दिया गया प्रवेश, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा मान्य न होने तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
3. पूर्व परीक्षा में जो छात्र अमहाविद्यालयनी (Private) परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हों अथवा अन्य विश्वविद्यालय के छात्र हों, उन्हें विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भरना अनिवार्य होगा।

प्रवेश–आवेदन पत्र

1. सभी प्रवेश–पत्र तथा फ्रीशिप, निर्धारित फार्म में दिए जाएं। आवेदन पत्र निर्धारित राशि (नगदी या मनीआर्डर द्वारा) कार्यालय में जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि किसी भी कारण सेलौटाई नहीं जाएगी।
2. आवेदन–पत्र स्वयं छात्र द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा पिता या पालक द्वारा प्रमाणित होना आवश्क है।
3. महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने के उपरांत उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश हेतु नया प्रवेश–आवेदन पत्र भरना होगा।

Scanned with CamScanner

विशेष : निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र के साथ होना अनिवार्य है :–

1. छात्र की पिछली संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Original T.C.) ।

2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रमाण पत्र खो जाने कीस्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक काउल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है । इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा।

3. पिछली कक्षा की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंक सूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें। मूल अंक सूची छात्र को तुरंत वापस कर दी जायेगी।

4. प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) (उन छात्रों के लिए है जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित किसी भी संस्था के छात्र न रहे हों)।

5. पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

6. जो छात्र स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुए हो, उसे किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7. माता/पिता/पालक का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र) संलग्न करें।

8. यदि छात्र किसी वर्ष परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ या अनुर्तीर्ण हुए हो तो ऐसे गत वर्षों की परीक्षा संबंधी जानकारी (कोर्ट एफिडेविट में) प्रवेश पत्र के साथ सलंग्न करना होगा।

9. जिन छात्रो ने गत परीक्षा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सी.बी.एस.ई. (C.B.S.E) नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड /विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण–पत्र महाविद्यालय–प्रवेश–आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

Scanned with CamScanner

10. अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति की छात्राओं को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृत्तियों के लिए भी निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगे

(1) जाति प्रमाण–पत्र

(2) आय प्रमाण–पत्र

(3) निवास प्रमाण–पत्र।

ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें।

11. नौकरी करने वालो छात्रो के लिए नियोक्ता का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

12. विदेशी छात्र/छात्राओं तथा ऐसे छात्र/छात्राओं को जो टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए हों, अपने प्रवेश–आवेदन पत्र के साथ अवर सचिव, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत शासन के पत्र में निर्देशित आवश्यक पत्र भारत शासन अथवा विदेश में भारतीय दूतावासों के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही सिविल सर्जन द्वारा दिया गया आरोग्य प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

13. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी छात्र ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हों अथवा अध्ययन बीच में बंद कर दिया हो तो ऐसे छात्रो को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

14. शासकीय नियमों के विरुद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

सूचना

1. प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक सत्य प्रतिलिपि होना आवश्यक है।

2. प्रवेश–आवेदन पत्र जमा करने के बाद मूल अंक–सूची कार्यालय से तुरंत लेने की जिम्मेदारी छात्र की ही होगी।

3. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर छात्र तत्संबंधी सुविधा से वंचित रहेगी।

Scanned with CamScanner

प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी छात्र/छात्रा का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदि :–

1. छात्र महाविद्यालय का प्रवेश – शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करते है।
2. यदि छात्र/छात्रा महाविद्यालय की आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहते है।
3. छात्र/छात्रा का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि में असंतोषजनक हो।
4. छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करते है।
5. छात्र/छात्रा रेगिंग करते है।
6. अन्य किसी भी विशेष कारणों से जनहित में।
7. शासकीय आदेशानुसार यदि कोई छात्र/छात्रा लगातार 1 माह से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जायेगा।

शुल्क संबंधी नियम

1. छात्र स्वयं काउन्टर पर ही नकद फीस जमा करें।
2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए छात्र/छात्रा उसी समय रसीद प्राप्त करें। यदि रसीद मिलने मेंकोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होंगे।
4. छात्र सहायता निधि से सहायता हेतु छात्र/छात्रा निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें। एक छात्र को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी।
5. नामांकन शुल्क उन छात्र/छात्रा के लिए देय है, जो बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित /होकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में नामांकित होना चाहते है।
6. समस्त शुल्क आवश्यक रूप से भरा जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय नवापारा गोबरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

कक्षा	सामान्य/पिछड़ा वर्ग छात्र				अ.जा./अ.ज.जा./छात्रा			
नवीन प्रवेशार्थी	शास.शु.	अशास. शु.	जनभागीदारी	योग	शास.शु.	अशास.शु.	जनभागीदारी	योग
M.A. Hindi	140	640	500	1280	5	640	500	1145
M.A. Geography	160	740	500	1400	25	740	500	1265
B.A. Part-I	120	750	500	1370	5	750	500	1255
B.A. Part-I Geography	140	750	500	1390	25	750	500	1275
B.Sc. Part-I	140	750	500	1390	25	750	500	1275
B.Com. Part-I	120	750	500	1370	5	750	500	1255
नवीनीकरण प्रवेशार्थी								
B.A. Part-II, II	120	540	500	1160	5	540	500	1045
B.A. Part-II, II Geography	140	540	500	1180	25	540	500	1065
B.Sc. Part-II,III	140	540	500	1180	25	540	500	1065
B.Com. Part-II, III	120	540	500	1160	5	540	500	1045

कक्षा	शास.शु.	अशास. शु.	जनभागीदारी	स्ववित्तीय	योग
DCA	25	690	500	9500	10715
PGDCA	25	690	500	12500	13715

टीप :– 1. बी.ए./बी.एससी/बी.काम. भाग दो एवं तीन कक्षा में पहली बार प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को नवीन प्रवेशार्थियों का प्रवेश शुल्क बी.ए./बी.एससी./बी.काम. भाग एक के समान प्रवेश शुल्क देना होगा।

Scanned with CamScanner

धरोहर राशि (अमानत राशि) पास करने के नियम

- धरोहर राशि निकलवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।
- महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (T.C.) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी।
- परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति बुधवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि (Caution Money) वापस प्राप्तकरने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीन वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि (Caution Money) वापस नहीं की जायेगी।

छात्रवृतियों – शिष्यवृतियों

1. छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित छात्रध्छात्राओं को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रा अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें।

   आवेदन पत्र कार्यालय से प्रदान किय जायेंगे। अंतिम तिथि के संबंध में महाविद्यालय के सूचना फलक में सूचित किया जाता है। छात्रा एक से अधिक छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, परन्तु छात्रवृत्ति के नियमानुसार उन्हें केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

2. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में छात्र स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें। विलम्ब से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।

3. पात्रता होने पर भी यदि कोई छात्रध्छात्रा उपरोक्त सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इनसे वंचित रह जावेगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्रध्छात्रा की होगी।

Scanned with CamScanner

4. छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति की सूचना छात्र/छात्राओं के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी जिसे देखकर छात्र स्वयं कार्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करें।

5. योग्य निर्धन छात्रध्छात्राओं को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट छात्रा सहायता निधि से प्रदान की जाती है ।

6. इसके अलावा निर्धन छात्रो की योग्यता के आधार पर पाठ्य पुस्तक वितरित करने का कार्य महाविद्यालय में बुक बैंक माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पाठ्यपुस्तक सत्र के अंत में महाविद्यालय में वापस जमा करना होगा।

विशेष सूचना : छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति एवं वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही जमा करें।

यह आवेदन पत्र महाविद्यालय में प्रवेश–प्रक्रिया पूर्ण होने पर, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ महाविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति का विवरण

क्र.	छावृत्ति/शिष्यवृत्ति का नाम	अवधि	वार्शिक दर	योग्यता का आधार	अधिकतम वार्षिक आय
1.	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के बच्चों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	3 वर्ष (छात्रावासी)	75.00 मासिक परीक्षा 60% 50.00 मा.(गैर छात्रावा.)	हायर सेकेण्डरी	25000.00
2.	स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति	20 माह	250.00 मासिक	55 %	आय में बंधन नही
3.	स्नातकोत्तर योग्यता शिष्यवृत्ति	20 माह	250.00 मासिक	55%	55 % अधिकतम वार्षिक आय
4.	स्नातक (उपाधि) छात्रवृत्ति	30 माह	150.00 मासिक	60%	आय में बंधन नही
5.	स्नातक (उपाधि) शिष्यवृत्ति	30 माह	150.00 मासिक	55%	अधिकतम आय 24000.00
6.	खेलकूद छात्रवृत्ति	10 माह	150.00 मासिक	योग्यता का आधार:- यह छात्रवृत्ति उन छात्रों के लिए है, जो छत्तीसगढ़ की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल में रही हों, या जो प्रदेश की वयस्क टीम में हो या प्रदेश की व्यस्कटीम में हो या प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हों।	

टीप :– कर्मचारियों की आय मूल वेतन मानी जायेगी ।

अनुसूति जाति /जनजाति, पिछडे वर्ग की छात्रो को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

Scanned with CamScanner

छात्रवृत्तियों /शिष्यवृत्तियों के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्तियों का विस्तृत विवरण मार्गदर्शिका में जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। छात्र/छात्राएँ उसे पूरा प य सदनुसार आवेदन समयावधि कार्यालय में जमा करें।
2. उपरोक्त नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शता, यार्मिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ट पर लगाया जायेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं छात्र/छात्रा की होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना फलक पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति संबंधी सूचनाएं समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना छात्र/छात्रा का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
6. उपरोक्त जानकारी नवीन छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति के लिए है।
7. प्रत्येक छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति नवीनीकरण हेतु छात्रा को कार्यालय से प्रपत्र लेकर जुलाई माह में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।
8. छात्र/छात्रा को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रति वर्ष जुलाई में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह छात्र/छात्रा की होगी।
9. सेन्ट्रल बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पास छात्रछात्रा के लिए नवीन छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगे।
10. आय संबंधी योग्यता तथा अन्य आधारों में कभी भी शासन द्वारा संशोधन संभव है, अतः छात्रछात्राएँ कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन सूचनाएँ देखें और तदनुसार आवेदन पत्र समयावधि में जमा करें।
11. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है। इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जाँच की जा सकती है।
12. शासन के नियमानुसार जिन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थित अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अंतर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अंतर्गत उनकी छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीप :– महाविद्यालय की छात्र/छात्राछात्राएं जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेती है,तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रभावित होगी।

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

पुस्तकालय /वाचनालय

(अ) पुस्तकालय, वाचनालय का छात्र/छात्राएँ पूरा पूरा उपयोग करें। यदि छात्रध्छात्राएँ पुस्तकालय की सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। प्रदाय की गई पुस्तकों के पृष्ट फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर छात्रो को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय छात्रो को चाहिए । वह देख लें कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ /फटा हुआ तो नहीं है। यदि ऐसा पाये तो की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अथ दण्ड देना होगा।

(ब) प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग छात्रध्छात्राएँ केवल वाचनालय में बैठकर ही का तत्काल वह गंधपाल (लाइब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हें दूसरी पुस्तक प्रदानसकती हैं।

बुक बैंक योजना

1. साधनहीन व निर्धन छात्रध्छात्राओं के लिये बुक बैंक की विशेष योजना व व्यवस्था है । इच्छुक छात्र/छात्राएँ 30 सितम्बर के पूर्व बुक बैंक की सहायता हेतु आवेदन करें। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत में लौटानी होगी।
2. महाविद्यालय के ग्रंथालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्राओं के लिए पृथक्तः "बुक बैंक" योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्र/छात्राएँ प्रवेश–पत्र, परिचय पत्र व जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकती
3. बी.पी.एल. कल्याण छात्रवृत्ति (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं वी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आने वालो छात्र/छात्राओं को प्रमाण–पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर यह सुविधा प्रदाय की जाती है।

खेलकूद

महाविद्यालय में विभिन्न खेलों का समुचित व्यवस्था है। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रुचि व भाग लें। महाविद्यालय के प्रांगण में छात्र/छात्राओं के लिए इनडोर एवं आउटडोर खेलकूद की समुचित व्यवस्था है।

1. शारीरिक शिक्षण विभाग की विभिन्न गतिविधियों का संचालन वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के मार्गदर्शनानुसार सम्पन्न होता है। क्रीड़ा अधिकारी एवं खेलों में रूचित लेने वाले प्राध्यापक सदस्य होते है।

Scanned with CamScanner

2. महाविद्यालय में विभिन्न खेलों की कोचिंग सुबह 6.30 बजे से 9.00 बजे तक नियमित रूप से होती है।

3. महाविद्यालय की छात्र/छात्राएं, अन्तर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिला संभाग एवं विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में तथा विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में तथा विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधित्व करते है, उन्हे निर्णयानुसार किट्स तथा ब्लेजर दिये जाते हैं।

जिम सुविधायें

छात्र/छात्राओं के स्वास्थय हित के लिये आधुनिक जिम की व्यवस्था महाविद्यालय में उपलब्ध है जिसमें निम्नाकित उपकरण यथा ट्रेडमिल,पावरलिफ्टिंग,पावर बैंच,मेनसेन्टर मशीन इत्यादि उपलब्ध है।

यूथ रेड क्रास सोसायटी

1. यूथ रेड क्रास सोसायटी की वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 25/– प्रति छात्र होगी।

2. महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कार्य समिति का गठन किया जायेगा। कम से कम तीन छात्र प्रतिनिधि, प्राध्यसापक, क्रीडा अधिकारी, पुस्तकालय प्रभारी सदस्य रहेंगे। समिति के सदस्यों की संख्या 11 होगी।

3. जिला अध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे।

4. ध्येय– छात्रों का सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवा भाव जागृत करना, रोगियों, पीड़ितों, अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, कार्यशालाओं का आयोजन करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मातृत्व की भावना जागृत करना।

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

छात्र/छात्राओं को स्वाध्यायी बनाने एवं राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक चेतना के विस्तार हेतु वर्तमान सत्र से रासेयों की ईकाई प्ररांम्भ किये जाने हेतु महाविद्यालय प्रशासन प्रयासरत है ।

रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में अध्यनरत एवं उत्तीर्ण होने वाले छात्र–छात्राओं के बेहतर रोजगार प्राप्त करने एवं उन्हे अवसरो से अवगत करने के लिए महाविद्यालय में रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ कार्यरत है। छात्र–छात्राएं संबंधित प्राध्यापको से संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते है ।

संयोजक :–पवन कुमार अग्रवाल

प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग

इस सत्र से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग प्रारंभ करने की योजना है ।

Scanned with CamScanner

कमजोर छात्रों के लिए विशेष मार्गदर्शन

विषय विशेष में कमजोर छात्रों को विषय विशषज्ञो द्वारा विशेष मार्गदर्शन की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की गई है । अन्य महाविद्यालयों के विषय विशषज्ञो द्वारा समय समय पर व्याख्यान द्वारा मार्गदर्शन प्रदाय किया जाता है।

विवरण पुस्तिका भाग – 2

छत्तीसगढ़ शासन – उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्वालयों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति :–

1.1 ये मागदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश" से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित, निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सूचना पअल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाइ जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में, पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा इसे प्रमाणित किये जाने पर, बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय मेंप्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यलाय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। 12वीं कक्षा में पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलबध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपनाप्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करे तथा "उच्च शिखा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्रापत होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।'

4. प्रवेश सूची:

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बात स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिकत होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापित ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये।

स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से भी वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राजय या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी,राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हैं, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्रापत बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबद्ध विश्वविद्यालय से या संबद्ध विश्वविद्यलाय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीरर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगा।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश–

(क) 10़2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

6. समकक्ष परीक्षा–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10़2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 102 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची समबद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (लहह को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं हैं, की परीक्षाएं मान्य नहीं है।

Scanned with CamScanner

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश–

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./ बी.एस–सी./बी.एच.एस–सी./में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से

छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा

उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।
राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थआयी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा–

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित

8.5 आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो

Scanned with CamScanner

कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरमचल रहा हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले रैगिंग के आरोपी छात्र–छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा–

(क)स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग)संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर प्रथम वर्ष पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र–छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

नोटः– छ.ग. शासन के आदेशानुसार महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आयु सीमा को शिथिल किया गया है।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा–

(क) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

Scanned with CamScanner

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता–

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय
में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेस दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

12. आरक्षण – छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात्–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संस्था में से ३२ प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से १२ प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से १४ प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।
परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2. (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य

Scanned with CamScanner

सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दुफ, 12.1के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उधिर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे,

12.5 आरक्षित श्रेणीका कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 172 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

13. अधिभार–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स–
स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सीयध्एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत

Scanned with CamScanner

(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	05 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत

13.2 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में–

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अतसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग)	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क)	छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
(ख)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत

Scanned with CamScanner

13.6 जम्मू कशमीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

13.7 विशेष प्रोत्साहन–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किया जावेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय

के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

16. विशेष–

16.1 जाली प्रणाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझ कर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य पर होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

Scanned with CamScanner

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते। हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

(ख) आचरण संहिता

1. जिन छात्र/छात्राओं का आचरण पूर्व में असंतोषजनक रहा हो अथवा जिनके प्रवेश से महाविद्यालय में अशांति की आशंका हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अध्ययन पर लगाएं साथ ही महाविद्यलाय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में पूरा–पूरा सहयोग दें।
3. महाविद्यालय की सम्पत्ति यथा–भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि की सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्र/छात्रा रुचि लेंगे और महाविद्यालय में शांति एवं सुव्यवस्था कायम रखने में सहयोगदेगें। इसके विपरीत किसी भी प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो भाग लेगें न दूसरों को उकसाएगें।
4. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वह पूरी तरह सहयोग देगें और भाग लेगें और बिना प्राचार्य की अनुमति से कक्षा अथवा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं रहेगें। महाविद्यालय की नियमित परीक्षाओं में अनुपस्थित छात्रध्छात्राओं को वार्षिक परीक्षा में प्रवेश देने से महाविद्यालय द्वारा रोका जा सकता है।
5. प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने सहपाठियों और शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेगी और कभी अश्लील, अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेंगे।
6. छात्र/छात्राओं को यदि कोई कठिनाई हो तो गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष नि/र्धारित प्रणाली से और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।
7. आन्दोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग छात्र/छात्रा नहीं अपनायेगे।
8. छात्र/छात्रा सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप या सहायता नहीं मांगेगे।
9. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

Scanned with CamScanner

रैगिंग

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में "छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001" जारी किया है। जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषांगित विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

परिभाषा

रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र /छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या

मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उससे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण प्रतिरोध या आपराधिक बल का प्रयोग करना।

रैगिंग का प्रतिषेध

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र /छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

दण्ड

यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

अपराधों का विचारण

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छात्र ध्छात्रा के निष्कासन के लिए निर्योग्यता

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस

अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था–परिसर

तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र /छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो,

शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसा छात्र /छात्रा जो निष्कासियत किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन

सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

- प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य ।
- कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक।
- एन.सी.सी. कैम्प /एन.एस.एस, कैम्प । खेलकूद । राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं /यूथ रेडक्रास सोसायटी
- के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थिति माना जावेगा।
- उपस्थिति की प्रथम गणना 31.10.2021 तक की जावेगी।
- कम उपस्थिति वाले छात्रों तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
- उपस्थिति की द्वितीय गणना 17.02.2022 तक की जायेगी।
- महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अपने सतर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए

आचरण – संहिता

सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्याथी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा अशोभनीय नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येग विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय–परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन–निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
7. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
8. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

Scanned with CamScanner

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्षशांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा सम्बन्धी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम,2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर प्रवेश पत्र पर प्रवेश समिति के सम्मुख हस्ताक्षर अनिवार्य है।

Scanned with CamScanner

श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय,गोबरा–नवापारा

ग्राम तर्री, पोस्ट पटेवा

जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

महाविद्यालय परिवार

डॉ.किरण गजपाल –प्राचार्य

1.	डॉ.पवन कुमार अग्रवाल	प्राध्यापक	वाणिज्य
2.	श्रीमती मधुरानी शुक्ला	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
3.	श्रीमति चन्दना भट्टाचार्य	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी
4.	श्री एस.आर.वड्डे	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य
5.	श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
6.	श्री प्रकाश चंद जांगड़े	सहायक प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र
7.	सुश्री राजिया सुल्ताना	सहायक प्राध्यापक	प्राणी शास्त्र
9.	–रिक्त–	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र
10.	–रिक्त–	सहायक प्राध्यापक	भूगोल
11.	–रिक्त–	सहायक प्राध्यापक	गणित
12.	–रिक्त–	सहायक प्राध्यापक	भौतिक शास्त्र
13	–रिक्त–	सहायक प्राध्यापक	
13.	श्री एम.आइ. सिद्धिकी	सहायक वर्ग – दो	
14.	सुश्री ममता साहू	सहायक वर्ग – तीन	
15.	श्री ए.एल. पटेल	प्रयोगशाला तकनीशियन	
16.	श्री नारायण प्रसाद सोनी	प्रयोगशाला तकनीशियन	
17.	श्री मोहित ध्रुव	प्रयोगशाला तकनीशियन	
18.	श्रीमति मंजू शर्मा	प्रयोगशाला परिचारक	
19.	श्री संजू वर्मा	प्रयोगशाला परिचारक	
20.	श्री खुलेश्वर मिश्रा	प्रयोगशाला परिचारक	
21.	श्री विनय मारकण्डे	प्रयोगशाला परिचारक	
22.	श्री मुकेश नेताम	भृत्य	
23.	सुश्री लक्ष्मीन नेताम	भृत्य	

Scanned with CamScanner